भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4913
उत्तर देने की तारीख 23 मार्च, 2026
2 चैत्र, 1948 (शक)

फुटबाल मैदानों का विकास

4913. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पिछले दस वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान फुटबॉल मैदानों के विकास के लिए प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की संख्या कितनी है और प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथियां क्या हैं;

(ख) ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत किए गए, अस्वीकृत किए गए और अनुत्तरित रहने वाले प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान उक्त मैदानों के विकास के लिए आवंटित की गई, जारी की गई और उपयोग की गई निधि कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में उक्त मैदानों के विकास के लिए शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है और ऐसी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है साथ ही प्रचालनशील, निर्मित, विलंबित और अपूर्ण मैदानों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) : 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, फुटबॉल मैदानों के विकास, खेल अवसंरचना परियोजनाओं के संचालन और फुटबॉल को बढ़ावा देने सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का होता है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) मांग-आधारित स्कीमें हैं जिसके अंतर्गत खेल

अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि के आधार पर वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाता है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों सहित देशभर में खेल अवसंरचना परियोजनाओं के अनुमोदन, उनकी स्वीकृत लागत और खेलो इंडिया स्कीम तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ङ) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों सहित देशभर में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए देशभर में निम्नलिखित खेल संवर्धन स्कीमों को कार्यान्वित करता है:

i. खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
ii. राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;
iii. अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को नकद पुरस्कार;
iv. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
v. मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
vi. खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
vii. राष्ट्रीय खेल विकास निधि;
viii. भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन; और
ix. राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर).

उपर्युक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।
